Title : Regarding need to provide adequate compensation to farmers whose land was acquired for setting up gas-based power project at Masuri in Ghaziabad District, Uttar Pradesh.

(iii) Need to provide adequate compensation to farmers whose land was

acquired for setting up gas-based power project at Masuri in

Ghaziabad District, Uttar Pradesh

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद जिले में मसूरी के पास रिलायंस के गैस आधारित पावर प्रोजैक्ट के लिए किसानों की 2235 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। जमीन अधिग्रहण से सात गांवों के कुल 2700 किसान प्रभावित हुए हैं। इनमें से 2000 किसानों की सारी ज़मीन और 700 किसानों की कुछ ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इस पावर प्रोजैक्ट परियोजना का दुखदायी पहलू यह है कि किसानों को उनकी ज़मीन का उचित मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा है। किसान 300 रुपये प्रति गज मुआवज़े की मांग को लेकर कलैक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किसानों की इस मांग को कभी अनुचित ठहराया जा रहा है तो कभी कहते हैं कि राष्ट्रीय पुनर्स्थापन और आवास नीति के तहत किसानों की इस मांग को और अन्य शर्तों को माना जा सकता है। कुल मिलाकर इस मामले में किसानों को सुस्पष्ट आश्वासन नहीं मिल पा रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस पावर प्लांट के लिए किसानों के साथ किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण समझौते में सभी शर्तों को साफ तौर पर तय करके लिखा जाए और किसानों को आजकल के ज़मीन भाव को देखते हुए उचित मुआवज़ा दिया जाए तथा कंपनी द्वारा जो शर्तें पूर्व में तय की गई थीं, उन पर शीघ्र विचार किया जाए।